



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1948 (श10)
(सं0 पटना 988) पटना बृहस्पतिवार 13 अगस्त 2026

परिवहन विभाग

अधिसूचना

12 अगस्त 2026

सं0 05/स्था0 (ADTOनियुक्ति)-01-49/2026/6607—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार परिवहन सेवा के अन्तर्गत अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन लेवल-7 एवं अनुमान्य भत्तों सहित औपबंधिक रूप से अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष पद पर परीक्ष्यमान रूप में नियुक्त किया जाता है:—

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	गृह जिला	मेधा क्रमांक	अनुशसित कोटि आरक्षण कोटि
1	त्रिपुरारी कुमार	16-11-1991	मुजफ्फरपुर	264	अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
2	वैभव रत्नम	29-03-1997	वैशाली	267	अनारक्षित पिछड़ा वर्ग
3	दिव्या कुमारी	23-01-1996	मुंगेर	381	अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
4	श्वेता कुमारी	05-12-2000	सहरसा	541	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
5	अमन राज	25-07-2003	नालंदा	610	अनुसूचित जाति
6	मनोज कुमार	10-11-1999	पूर्वी चम्पारण	646	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
7	शुभम कुमार	20-03-2001	सहरसा	831	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
8	प्रत्यय अमृत	23-02-1995	समस्तीपुर	2602	अनुसूचित जाति

2. सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि एक (01) वर्ष की होगी।
3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ-पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्ट्या सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
4. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों का संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब संबंधित पदाधिकारी की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।
5. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं०-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू होगी।
6. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
7. पूर्व से सेवारत अभ्यर्थी विधिवत् रूप से विरमित/त्याग पत्र स्वीकृत होने के पश्चात ही उनका योगदान स्वीकार किया जायेगा।
8. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि दिनांक-13.08.2026 को अपना योगदान समर्पित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राज कुमार,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 988-571+100-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>